झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र सं०–08 / सं०(नि०)सु०परि०–07–14 / 2015 ..... / राँची, दिनांक : .....

आदेश

श्री विरेन्द्र चन्द्र दास, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता समप्रति सेवानिवृत के विरूद्ध खरकई बाँध प्रमण्डल सं०–02, ईचा–चालियामा में पदस्थापन के दौरान बरती गयी अनियमितता के लिए झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम–43बी० के तहत् विभागीय संकल्प सं०– 2542 दिनांक– 09.05.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही में श्री दास के विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित है :–

आरोप सं०– (i) वित्त नियमावली –1950 के नियम–29, नियम–30 के विभिन्न प्रावधान नियम–202(2) के विरूद्ध कार्य कर वित्तीय अनियमितता बरतना एवं SBD के नियम एवं शर्त्तों के विपरित मनमाने ढंग से निविदा के NIT के शर्त्तों को बदलना, अपने पद के दायित्व का निर्वहन नहीं करना तथा अधीनस्थ अधिकारियों को अनियमित कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करना एवं बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली–1958 के नियम–4 के प्रावधानों का उपयोग नहीं करते हुए तथाकथित अनियमित कार्य में सहयोग कराना राज्य सरकार के क्रिया कलाप को प्रभावित करना।

आरोप सं०– (ii) अपने पद के दायित्व का निर्वहन नहीं करना तथा अधीनस्थ अधिकारियों को अनियमित कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करना तथा राज्य सरकार के क्रिया कलाप को प्रभावित करना।

2. उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही में श्री शेखर कुमार वर्मा, झा०प्र०से०, (से०नि०) विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी एवं श्री अशोक कुमार, मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित की गई सुनवाई की तिथि को आरोपित श्री दास द्वारा अनुपस्थित रहने एवं पुनः दूसरे सुनवाई की तिथि में उपस्थित होने पर श्री दास द्वारा कतिपय कागजातों एवं समयविस्तार की मांग संचालन पदाधिकारी से की गई एवं वांछित कागजात उपलब्ध करा देने के भी बाद बार– बार कहने के बावजूद अपना बचाव–बयान संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित नहीं किया गया, ऐसी स्थिति में संचालन पदाधिकारी द्वारा उक्त के क्रम में यह प्रतिवेदित किया गया है कि,

"अधोहस्ताक्षरी को इस निष्कर्ष पर पहुँचने हेतु बाध्य होना पड़ा कि आरोपी पदाधिकारी श्री दास अपना बचाव–बयान जानबूझ कर समर्पित नहीं करना चाहते है।"

तत्पश्चात् विषयगत मामले में वस्तुस्थिति के आलोक में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक– 62 दिनांक– 14.02.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें इनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित करते हुए जो मंतव्य दिया गया है, वह निम्नवत् है –

"निविदा आमंत्रण के पूरे घटना क्रम में विचार करने पर स्पष्ट होता है कि आरोपित पदाधिकारी श्री दास, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत द्वारा विभागीय आदेश / निदेश से हटकर काफी जल्दबाजी में अपने पदीय दायित्व के विपरीत कार्य किया गया, जिससे विभाग की छवि धूमिल हुई है।

"वास्तव में वर्त्तमान मामले में श्री दास की भूमिका एक Executing Body की थी, जिसके विपरीत उनका क्रियाक्लाप एक Decision making body की तरह परिलक्षित हुई। सामान्यतः किसी परियोजना के सम्पूर्ण/आंशिक अंश के S.B.D. का अनुमोदन उसके तकनीकी /प्रशासनिक/स्थानीय/भौगोलिक/सामाजिक/संवैधानिक पहलूओं पर सम्यक् विचारोपरान्त किया जाता है और विभाग/सरकार अपने कर्मियों /पदाधिकारियों (Executing Body) से अपेक्षा करती है कि उक्त परियोजना/योजना का क्रियान्वयन तदनुरूप करें। यह बात भी उल्लेखनीय होता है कि योजना के चयन एवं उसके क्रियान्वयन के बीच का अन्तराल प्रायः लम्बा हो जाने के चलते इसमें Upgradation की आवश्यकता होती है। वर्त्तमान मामले में आरोपी पदाधिकारी श्री दास के द्वारा ऐसा महसूस किया गया एवं प्रस्ताव दिया गया, जिसे विभाग द्वारा अमान्य कर दिये जाने के बाद भी उनके द्वारा तदनुरूप कार्रवाई की गई, (अनुमोदित SBD से हटकर निविदा आमंत्रित की गई) जो उनके पदीय दायित्व के विपरीत /उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना कर कार्य करने का द्योत्तक है। यहाँ थोड़ी देर के लिए यह मान भी लिया जाय कि वे मुख्य अभियंता के अधीन व नियंत्रण में थे, उनके प्रति उत्तरदायी थे; परन्तु उन्हें स्पष्ट विभागीय निदेश प्रेषित थे। (विभागीय पत्रांक– 561 दिनांक – 31.03.2014), जिसका अनुपालन उनके द्वारा नहीं किया गया, उनका क्रियाक्लाप किसी व्यक्ति विशेष/समूह विशेषको लाभ पहुँचाने जैसा नहीं है, पारदर्शी है, ऐसा प्रतीत नहीं होता है।

उक्त से स्पष्ट है कि विषयगत मामले में आरोपी पदाधिकारी श्री विरेन्द्र चन्द दास, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सम्प्रति सेवानिवृत विषयगत मामले में दोषी है, उन पर लगाये गये आरोप प्रमाणित होते है। "

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन एवं उसमें अंकित उक्त मंतव्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि शुद्धिपत्र निर्गमन का प्रस्ताव, जो श्री दास द्वारा अधीक्षण अभियंता के माध्यम से मुख्य अभियंता को अग्रसारित किया गया, एवं जिसे विभाग द्वारा अमान्य कर दिये जाने के बाद भी उनके द्वारा अनुमोदित SBD से हटकर निविदा आमंत्रण की कार्रवाई की गई एवं उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना किया गया। श्री दास के विरूद्ध प्रतिवेदित उक्त आरोपों, एवं संचालन पदाधिकारी के मंतव्य/जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोपों के लिए निम्न दण्ड प्रस्ताव के साथ विभागीय पत्रांक– 3627 दिनांक– 08.08.2017 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा किया गया –

(i) पेंशन से 15% की कटौती दस वर्षों तक किया जाना।

5. उक्त के आलोक में द्वितीय कारण पृच्छा के क्रम में श्री दास अपने पत्र दिनांक– 28.07.2017 द्वारा अभिलेख अप्राप्त रहने का उल्लेख करते हुए एवं माताजी के बीमारी का हवाला देकर तीन सप्ताह का समय विस्तार की माँग किया गया एवं पुनः उनके द्वारा पत्रांक– शून्य दिनांक– 18.09.2017 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर किये जाने की सूचना के साथ कारण पृच्छा की कार्रवाई स्थगित करने हेतु अनुरोध किया गया। श्री दास द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित नहीं किया गया। तत्पश्चात श्री दास के उक्त आचरण "approach not with clean hands' की श्रेणी एवं बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम 165–168 अपैंडिक्स–J के अन्तर्गत Appointing Department, द्वारा निर्गत परिपत्र सं०–10192 दिनांक– 23.08.1963 की कंडिका– 2(v) के प्रावधान के अन्तर्गत Dilatory Tactics & managing to prolong the enquiry के अन्तर्गत मानते हुए विभागीय पत्रांक– 242 दिनांक– 15.01.2018 द्वारा अंतिम मौका देते हुए जवाब हेतु पुनः स्मारित किया गया। कारण पृच्छा का जवाब अप्राप्त रहने पर प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी स्मारित किया गया, परन्तु श्री दास द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब विभाग के समक्ष समर्पित नहीं किया गया, जिससे यह परिलक्षित होता है कि उन्हें अपने बचाव बयान में कुछ नहीं कहना है।

6. चूँकि प्रस्तुत मामले में विभाग द्वारा कई पत्र निर्गत करने तथा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से स्मारित करते हुए पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद भी श्री दास द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब नहीं समर्पित करने के उक्त कृत्य से यह स्पष्ट होता है कि वे अपना बचाव बयान प्रस्तुत करने के लिए अनिच्छुक है तथा मामले को टालने का प्रयास है।

उपरोक्त स्थिति में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री विरेन्द्र चन्द्र दास सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता के उक्त आचरण एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित पाये गये आरोपों के आलोक में निम्न दण्ड संसूचित किया जाता है :–

(i) पेंशन से 15% की कटौती दस वर्षों तक।

अतएव एतत् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक ...../राँची, दिनांक .....

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड, राँची/जिला कोषागार, सरायकेला–खरसावां/चाईबासा/ प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर/मुख्य अभियंता, ईचा–गालूडीह कम्पलेक्स, आदित्यपुर, जमशेदपुर/ अधीक्षण अभियंता, खरकई बाँध अंचल, ईचा–चालियामा/ कार्यपालक अभियंता खरकई बाँध प्रमण्डल सं०–02, ईचा–चालियामा/ श्री विरेन्द्र चन्द्र दास, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता खरकई बाँध प्रमण्डल सं०–02, ईचा–चालियामा समप्रति सेवानिवृत, पत्राचार पता– फ्लैट नं०–C/02, सरस्वती ब्लॉक सिरोम नगर, डिमना रोड मानगो, जमशेदपुर–831018 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 4484 /राँची, दिनांक 19/8/19

प्रतिलिपि उप सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–01, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची /वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.8.19
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव